

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2020-21

दिनांक : 29/03/2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा

विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग बजट आवंटन।

प्रसंग : निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक प. 9(4)(26)(2)/छात्र/अपिब बजट/सा.न्या.अ.वि./2019-20/3181 जयपुर दिनांक 24.03.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्ष 2021-22 के पात्र आवेदन पत्रों के भुगतान हेतु बजट आवंटन राज्य निधि मद से वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नांकित को उनके द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर लॉक किये गये आवेदनों की संख्या के आधार पर लेखामद 2225-03-277-02-00 राज्य निधि मद में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-


(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	जिले का नाम	ऑफिस आई.डी.	छात्र संख्या	राशि
1	AJMER	16289	120	192000
2	ALWAR	6452	170	272000
3	BANSWARA	21127	135	216000
4	BARAN	21800	100	160000
5	BARMER	13976	300	480000
6	BHARATPUR	7236	100	160000
7	BHILWARA	17971	280	448000
8	BIKANER	3735	200	320000
9	BUNDI	17137	70	112000
10	CHITTAURGARH	21402	175	280000
11	CHURU	4492	170	272000
12	DAUSA	8914	130	208000
13	DHAULPUR	7576	100	160000
14	DUNGARPUR	20897	125	200000
15	HANUMANGARH	3282	90	144000
16	JAIPUR	10196	220	352000
17	JAISALMER	13291	20	32000
18	JALORE	14459	150	240000
19	JHALAWAR	22087	120	192000
20	JHUNJHUNUN	5349	80	128000
21	JODHPUR	13122	160	256000
22	KARALI	8055	150	240000
23	KOTA	21597	70	112000
24	NAGOUR	12261	190	304000
25	PALI	15571	115	184000
26	PRATAPGARH	22191	60	96000
27	RAJSAMAND	18401	120	192000
28	S.MADHOPUR	8468	90	144000
29	SIKAR	11216	100	160000
30	SIROHI	14800	35	56000
31	SRI GANGANAGAR	2735	60	96000
32	TONK	16781	80	128000
33	UDAIPUR	20688	290	464000
TOTAL			4375	700000

(अखरे रूपये सतर लाख मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
4. राशि का आवंटन वर्ष 2021-22 के विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2021-22 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण उक्त सारणी अनुसार आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में शाला दर्पण पोर्टल एवं पे मैनेजर के माध्यम से किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।
6. दिनांक 30.03.2022 तक छात्रवृत्ति का पूर्ण वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें।


लेखाधिकारी
विश्वीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य / बजट / बी-3 / 25212 / 2020-21
प्रतिलिपि :-


दिनांक : 29/03/2022

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सान्याअ विभाग जयपुर को सूचनार्थ।
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
6. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते


लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर